

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-25112020-223298
SG-DL-E-25112020-223298

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]	दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2020/अग्रहायण 3, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 209
No. 259]	DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2020/AGRAHAYANA 3, 1942	[N. C. T. D. No. 209

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2020

सं.फा. 06/13/2011-न्याय/अधी.विधि./1132-1137.—अधिसूचना सं0 6/13/2011-न्याय/अधी.विधि./721-725 दिनांक 14.06.2011 के अधिक्रमण में एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तथा इस संबंध में अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से, प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 के न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में नामित करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2020

F.No. 6/13/2011-Judl./Suptlaw/1132-1137.—In supersession of Notificaiton No.F.6/13/2011-Judl./Suptlaw/721-725 dated 14.06.2011 and in pursuance of the powers conferred by Section 30 of the Protection of Human Rights Act, 1993, and all other powers enabling him in this regard, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Delhi, is pleased to designate the court of Additional Sessions Judge-02 in each District as Human Rights Court.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy.
(Law, Justice & L.A.)